प्रशासन योजना । संविधान

१- महाविद्यालय । संस्था का नाम	श्रीराम- कृष्ण कन्या महाविद्यालय, किसौली (बुलन्दशहर) ।
महाविद्यालय/संस्था की पैतृक संस्था का नाम -	किसान मजदूर शिक्षा समिति किसौली, (बुलन्दशहर)
२- नाम -	यह प्रशासन योजना श्रीरामकृष्ण कन्या महा विद्यालय किसौली जिला बुलन्दशहर की प्रशासन योजना कहलायेगी ।

३- **परिभाषाएँ -**

विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस प्रशासन योजना में:-

१- ऐक्ट या अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ में प्रदत्त प्राविधान तत्सम्बन्धी नियमों व उपनियमों से है ।

२- विश्वविद्यालयों का तात्पर्य चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ०प्र०) से है ।

३- कालेज का तात्पर्य - श्रीराम- कृष्ण कन्या महाविद्यालय, किसौली जनपद बुलन्दशहर (उ०प्र०) से है ।

४- ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस प्रशासन योजना में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो विश्वविद्यालय अधिनियम में उनके लिये दिये गये है ।

४- **संस्था एवं महाविद्यालय का स्थान-** संस्था एवं महाविद्यालय ग्राम किसौली (बुलन्दशहर) में स्थित है ।

५- **संस्था एवं महाविद्यालय का संचालन :-** संस्था एवं महाविद्यालय का संचालन संस्था द्वारा गठित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा ।

६- **संस्था के अंग :-** संस्था के दो अंग होंगे :-

(१) साधारण सभा

(२) प्रबन्ध समिति

७- **साधारण सभा :-** संस्था के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे

प्रबन्धक
किसान मजदूर शिक्षा समिति
ग्राम किसौली पो० आ०
जनपद बुलन्दशहर

कुलसचिव (सम्बद्धता)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

--- २ ।

८ - प्रबन्ध समिति :- संस्था के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा । इस प्रबन्ध समिति द्वारा महाविद्यालय का भी संचालन किया जायेगा ।

९ - स्मृति पत्र की धारा ५ में वर्णित प्रबन्ध समिति ही संस्था एवं महा-विद्यालय की प्रबन्ध समिति है ।

विश्वविद्यालय की नियमावली के अनुसार पदेन सदस्य भी महाविद्यालय की कार्यकारिणी में शामिल किये जावेंगे तथा कोई भी दो सदस्य आपस में रिश्तेदार नहीं होंगे तथा सभी सदस्य अवैतनिक होंगे । और प्रबन्ध समिति का कार्यकाल ५ वर्ष होगा ।

१० - संस्था की सदस्यता :- संस्था के सदस्यों की निम्न पात्रता होनी आवश्यक है ।

(१) संस्था की सदस्यता :- सदस्य की आयु १८ वर्ष से अधिक हो, सजा पाया हुआ न हो पागल न हो, दिवालिया न हो और संस्था के उद्देश्यों के प्रति रूचि रखता हो । वह व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकता है ।

(२) सदस्यों के वर्ग :-

(क) आजीवन सदस्य - संस्था मण्डल की संस्तुति पर कोई भी व्यक्ति जो सोसायटी के उद्देश्यों में रूचि व नियमों में निष्ठा रखता हो वह ११००) रू० देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकता है ।

(ख) साधारण सदस्य - संस्थापक मण्डल की संस्तुति पर कोई भी व्यक्ति जो सोसायटी के उद्देश्यों में रूचि व नियमों में निष्ठा रखता हो व ५०१) रू० देकर साधारण सदस्य सदस्यता प्राप्त कर सकता है ।

क्रमश:- ३ पर ।

सचिव
किसान मजदूर शिक्षा समिति
ग्राम किसौली पो० खास
जनपद बुलन्दशहर

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

११ - संस्था की सदस्यता हेतु अनिवार्यतायें:-

(१) सदस्य की उम्र १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिये ।

(२) स्वस्थ मस्तिष्क व सर्वोदय विचार व नैतिक आचरण वाला हो ।

(३) दिवालिया न हो ।

(४) घोषित अपराधी न हो या सजायाफता न हो ।

(५) सोसायटी की नियमावली व आदेशों में पूर्ण निष्ठा रखते हो ।

(६) नये सदस्यों की सदस्यता में प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति आवश्यक होगी ।

१२ - सदस्यता की समाप्ति :- निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है :-

(१) अपना त्याग-पत्र स्वयं सचिव के नाम देने व प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा स्वीकृत होने पर ।

(२) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ।

(३) पागल अथवा दिवालिया घोषित होने पर ।

(४) अदालत द्वारा अपराधी घोषित होने पर ।

(५) वार्षिक शुल्क न देने पर ।

(६) सोसायटी के आदेशों व विधान के विरुद्ध कार्य करने व अकर्मण्य होने पर ,प्रबन्धकारिणी समिति के २।३ बहुमत से भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी , कारण सं० २,३,४ व ५ से सदस्य की सदस्यता स्वत: समाप्त समझी जायेगी व सर्वोदय विचार व नैतिक आचरण न रखना ।

१३ - साधारण सभा का विस्तृत रूप :-

(१) गठन - संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर एक साधारण समिति का गठन किया जायेगा ।

(२) बैठक - साधारण समिति की सामान्य बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है । परन्तु वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति (३१ मार्च) के पश्चात् तीन माह के अन्दर अवश्य होनी चाहिये ।

सचिव
किसान मजदूर शिक्षा समिति
ग्राम किसोली पो० खास
जनपद बुलन्दशहर

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

--क्रमश:-- ४ पर

(३) सूचना - सामान्य बैठक के लिये सूचना १० दिन पूर्व व विशिष्ट बैठक की सूचना ४८ घन्टे पूर्व दी जायेगी।

(४) कोरम - किसी भी बैठक के लिये कोरम कुल सदस्यों की संख्या का १।५ या ७ सदस्य जो अधिक हो होगा ।

(५) अधिकार एवं कर्तव्य :-

(१) प्रत्येक पांच वर्ष बाद प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

(२) वार्षिक आय-व्यय का लेखा जोखा पास करना ।

(३) संस्था के वार्षिक बजट पारित करना ।

(४) प्र०का०सं० के प्रस्ताव पर समिति के संविधान व नियमावली मे परिवर्तन, संशोधन परिवर्तन करना । इसके लिये आहूत सभा मे उपस्थित सदस्यों के २।३ बहुमत की सहमति आवश्यक होगी ।

(५) अन्य सभी वे महत्वपूर्ण कार्य जो संस्था के उद्देश्यों व आदर्शों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है, करना ।

१४- प्रबन्ध समिति का कार्य काल

(१) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा ।

चुनाव की प्रक्रिया

१- प्रबन्ध समिति के पांच वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से एक मास पूर्व सचिव।अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे । इसकी सूचना कुलपति द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करायेंगे । बाह्य सदस्यों को पंजीकृत डाक द्वारा तथा स्थानीय सदस्यों को वाहक द्वारा चुनाव की सूचना भेजी जायेगी । इस नोटिस मे चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जायेगा। नियुक्त चुनाव अधिकारी का विवरण भी नोटिस तथा विज्ञापन में दिया जायेगा ।

सचिव
किसान मजदूर शिक्षा समिति
ग्राम किसौली पो० ...
जनपद बुलन्दशहर

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

---क्रमश: ५ पर

२- चुनाव के लिये साधारण सभा की बैठक , सचिव व अध्यक्ष मिलकर बुलायेंगे , बैठक के नोटिस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे । यदि वे ऐसा नहीं करते है तो साधारण सभा के एक चौथाई सदस्य साधारण सभा की बैठक कुलपति की अनुमति से बुला सकेंगे । यदि अध्यक्ष व प्रबन्धक बैठक बुलाते है तो अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करेगा अन्यथा सभी सदस्य अपने मे से एक को बैठक का अध्यक्ष बनायेंगे ।

३- साधारण सभा के सदस्यों की सूची प्रबन्ध समिति के पांच वर्षों के कार्यकालसमाप्त होने से ०६ माह पूर्व घोषित कर दी जायेगी । जिसकी पांच प्रतियां कुलपति को भेजी जायेगी ।

४- विश्वविद्यालय से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया जायेगा । यदि किसी कारणवश विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक चुनाव के दिन अनुस्थित रहते है तो भी चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा तथा अगले दिन समस्त पत्राजात विश्वविद्यालय के अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिये जायेंगे ।

५- चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। चुनाव मत पत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे । मतदान पत्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने तक सुरक्षित रखे जावेंगे ।

१५- संस्था के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

१- अध्यक्ष :-

१- संस्था की सभी बैठकों की अनुमति प्रदान करना व उनकी अध्यक्षता करना ।

२- संस्था के कोष व चल अचल सम्पत्ति के रख- रखाव की व्यवस्था तथा निर्माण में सहयोग करना ।

३- समान मत आने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देना ।

४- आवश्यकतानुसार संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

--- क्रमशः६ पर ।

सचिव
किसान मजदूर शिक्षा समिति
ग्राम किसौली पो० खास
जनपद बुलन्दशहर

कुलसचिव (सम्बद्धता)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

१३ – सचिव अध्यक्ष की सहमति से सभी भुगतान करायेगा ।

१४ – पे बिल आदि सभी बिलो पर सचिव के हस्ताक्षर होंगे ।

४ – उपसचिव – सचिव महोदय की अनुपस्थिति मे सचिव के समस्त अधिकार उपसचिव को निहित होंगे ।

५ – कोषाध्यक्ष :– १ – संस्था के कोष की देखभाल करना । चन्दा शुल्क दान अनुदान प्राप्त कर रसीद देना ।

२ – सोसायटी का बजट सचिव व अध्यक्ष की सहमति से तैयार करना ।

३ – सोसायटी के खातो को अपने अधिकार मे सुरक्षित रखना ।

४ – सभी खर्चों की व्यवस्था सचिव की सहमति से करना ।

५ – संस्था के अभिलेखो।खातो का आडिट प्र०का०स० द्वारा नियुक्त आडिटर से करवाना । संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट किसी मनोनीत सदस्य अथवा सी०ए० द्वारा किया जायेगा ।

१६ – आय व्यय का निरीक्षण – संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट किसी मनोनीत सदस्य अथवा सी०ए० द्वारा किया जायेगा ।

१७ – संस्था के कोष :– संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा ।

(१) संस्था के सदस्यो द्वारा प्रदत्त चन्दे व शुल्क द्वारा ।

(२) दान अनुदान व ऋण द्वारा ।

(३) राजकीय अनुदान एवं अन्य संगठनो द्वारा प्रदत्त ऋण व सहायक समिति का कोष किसी बैंक मे सुरक्षित रखा जायेगा । जिसके लिये चालू।बचत। फिक्स्ड।आवर्ती जमा खाते खोले जा सकते है। उक्त बैंको से लेन देन कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर व अध्यक्ष या सचिव दोनो मे से एक के हस्ताक्षर के साथ होगा बैंक खाते कई नगरो व बैंको मे परिस्थिति के अनुसार खोले जा सकते है ।

सचिव
किसान मजदूर शिक्षा समिति
ग्राम किसोली पो० बाक
जनपद बुलन्दशहर

-------- क्रमशः ८ पर

कुलसचिव (सम्बद्धता)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

१८ संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन :-

संस्था के नियमों, विनियमों में संशोधन प्रक्रिया संस्थापक मंडल की अनुमति से साधारण सभा द्वारा २।३ बहुमत होने पर मान्य होगी।

१९ - कानूनी कार्यवाही :-(१) संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाहियाँ सचिव द्वारा की जायेगी।

(२) संस्था का न्यायिक क्षेत्र होगा। सभी प्रकार के दावे इसी स्थान से स्वरूप संस्था पंजीकृत अधिनियम १८६० के अनुसार होंगे।

२० - संस्था के अभिलेख :- निम्न अभिलेखों का रख-रखाव सचिव व कोषाध्यक्ष आवश्यकतानुसार करेंगे।

१ - सदस्यता रजिस्टर २ - कार्यवाही रजिस्टर

३ - स्टाक रजिस्टर ४ - डाक रजिस्टर

५ - कैश बुक ६ - लैजर ७ - रसीद बुक आदि।

२१ - संस्था का विघटन किन्ही कारणों से संस्था के विघटन की परिस्थितियों में संस्था का विघटन संस्था पंजीकृत अधिनियम १८६० धारा १३ व १४ के अनुसार होगी।

२२ - इस प्रशासनिक योजना के संशोधन के संबध में

यदि प्रशासनिक योजना की किसी धारा उपधारा के सम्बन्ध में संस्था द्वारा स्वयं या इस प्रशासनिक योजना में किसी नई धारा उपबन्ध बढ़ाने के सम्बन्ध में किसी अधिनियम, उपनियम, शासनादेश व विश्वविद्यालय निर्देश के अन्तर्गत या किसी अन्य कारण से कोई आवश्यकता पैदा होती है तो प्रबन्ध समिति के बहुमत के आधार पर इस प्रकार के संशोधन के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन साधारण सभा द्वारा किये जाने की दशा में प्रशासनिक योजना को संशोधित किया जा सकता है। जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव विधि विरुद्ध न हो। संशोधन व आवश्यक प्रस्ताव के साथ कुलपति महोदय चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय मेरठ को प्रेषित की जायेगी। कोई भी संशोधन

सचिव
किसान मजदूर शिक्षा समिति
ग्राम किसोली पो० छाब
जनपद बुलन्दशहर

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

परिनियमावली के अनुसार कुलपति के बिना अनुमोदन के मान्य नहीं होगा ।

२३- अधिकारों का प्रयोग व कर्तव्यों का निर्वहन

प्रबन्ध समिति के सभी सदस्य पदाधिकारी व संस्था के सभी वेतनभोगी कर्मचारी इस प्रशासनिकयोजना के अन्तर्गत वर्णित अपने अधिकारों का प्रयोग व कर्तव्य निर्वहन उ०प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ में वर्णित धाराओं, अधिनियमों, उपनियम व उपबन्धों तथा समय समय पर विश्व-विद्यालय द्वारा निर्देशित निर्देशों व राजाज्ञा के अधीन रहते हुये करेंगे ।

अनुमोदन हेतु यह प्रशासन योजना दिनांक 5/7/06 दिन बुधवार को बच्चूराम सिंह (सचिव/अध्यक्ष) ने अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की ।

बच्चूराम सिंह
सचिव
किसान मजदूर शिक्षा समिति
ग्राम किसौली पो० खास
जनपद बुलन्दशहर

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ